

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, गोड्डा।

आर0ई0आर0 वाद सं0-18/2014-15

अंचल अधिकारी, पोडैयाहाट

बनाम्

मनोज साह

7

दिनांक

पदाधिकारी का आदेश

अभ्युक्ति

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। द्वितीय पक्ष द्वारा पक्ष रखा गया है।

अंचल अधिकारी, पोडैयाहाट के पत्रांक- 492/रा0, दिनांक-14/11/2014 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है कि मौजा- पोडैयाहाट, थाना नं0- 121, खाता सं0-75, खेसरा सं0-1585, हल्का सं0-07, रकवा-00-04-00 धुर जमीन जो खतियान में मूल जमाबंदी रैयत मानसिंह मुर्मू वो मरांग मुर्मू वो जटा मुर्मू वो गरमू मुर्मू वो राम मुर्मू पे0-दशरथ मुर्मू, साकिन- पोडैयाहाट, जिला-गोड्डा के नाम से दर्ज है। अंचल अधिकारी, पोडैयाहाट द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री मनोज साह, पिता- त्रिवेणी साह द्वारा खेसरा सं0-1585, रकवा-00-04-00 धुर आदिवासी भूमि को अवैध रूप से कब्जा कर मकान बना लिया गया है।

अवैध दखलकार को नोटिश किया गया। श्री मनोज साह, पिता-त्रिवेणी साह, ग्राम- पोडैयाहाट, जिला-गोड्डा द्वारा वकालतन हाजरी दिया गया है। श्री मनोज साह द्वारा अपना पक्ष रखने में अभिरुचि नहीं लिया जा रहा है।

भूमि का हस्तान्तरण संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम (पूरक) 1949 की धारा 20 के अनुरूप नहीं है।

संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम (पूरक) 1949 की धारा 42 के अन्तर्गत उपरोक्त भूमि अवैध रूप से अन्तरित एवं दखल कब्जा किये गये भूमि के उच्छेद का आदेश दिया जाता है। अंचलाधिकारी, पोडैयाहाट अवैध रूप से दखल किए गए भूमि का उच्छेद कर वर्तमान जमाबंदी रैयत को दखल दिलाना सुनिश्चित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
गोड्डा।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
गोड्डा।

(6/5/11)

10/5/11

16/5/11

16/5/11
6/9/11
10/5/11